न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुनील कुमार पीपलीवाल आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 57 / 2025 दायर दिनांकः 25.06.2025

उनवान

1. कँवरलाल आयु 52 वर्ष पुत्र लटूरलाल जाति धाकड़ निवासी अन्ताना तहसील अटरु जिला बारां (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—

प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर

अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय दिनाकः 16.10.2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल आटोन तहसील अटरू जिला बारां (राज.) में आराजी खाता संख्या 40 का खसरा नं. 973 का रकबा 0.31 हैक्टर कुल किता 1 का रकबा 0.31 हैक्टर आराजी प्रार्थी के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है। नक़ल जमाबन्दी सम्वत 2073—2076 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, जो काबिल गौर है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम कँवरलाल के स्थान पर कंवरिया दर्ज हो गया है जो कि गलत दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थी का सही नाम कॅवरलाल है जो कि उसके आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड आदि दस्तावेजो में भी कॅवरलाल नाम ही दर्ज है। प्रार्थी के उक्त दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, जो काबिले गौर है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में राजस्व कर्मचारीगणों द्वारा की गई त्रुटि को प्रार्थी दुरुस्त करवा कर अपना नाम कंवरिया के स्थान पर कँवरलाल दर्ज करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारीगणों के द्वारा किये गए गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य से प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में कंवरिया कर देने से प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी

का नाम भिन्न भिन्न होने से प्रार्थी कृषि योजनाओं का लाभ प्राप्त नही कर पा रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से नाम दुरुस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि में हो रही त्रुटि को प्रार्थी दुरुस्त करवा कर अपना नाम कंवरिया के स्थान पर कँवरलाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का अधिकारी है, बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त करवाया जाना संभव नहीं है, अस्तु माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से उसे अप्रार्थी बनाया गया है। आराजी ग्राम/माल आटोन पटवार हल्का आटोन तहसील अटरू जिला बारां में होने से माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र के सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक़्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी ग्राम/माल आटोन की आराजी खाता संख्या 40 का खसरा नं. 973 का रकबा 0.31 है0 कुल किता 1 का रकबा 0.31 हैक्टर आराजी में प्रार्थी का नाम कॅवरिया के स्थान पर कँवरलाल पुत्र लटूरलाल दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थी ग्राम आटोन की खाता संख्या 40 ख0नं0 973 रकबा 0.31 है0 में अपना नाम कंवरिया के स्थान पर कंवरलाल करवाना चाहता है। अतः रिकार्ड, साक्ष्य एवं सहखातेदारान की सहमति तथा उर्फ लगाते हुए नाम दुरूस्त करने पर अप्रार्थी को कोई आपत्ति नही है। अभिभाषक प्रार्थी की बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल आटोन सम्वत 2073–76 खाता संख्या 40, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड व जवाब अप्रार्थी का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण के आधार पर ग्राम एवं माल आटोन तहसील अटरू की खाता संख्या 40 के ख0नं0 973 रकबा 0.31 है0 कुल किता 1 का रकबा 0.31 है0 आराजी में खातेदार कंवरिया पुत्र लटुरलाल के स्थान पर कंवरलाल उर्फ कंवरिया पुत्र लटूरलाल किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल० आर० एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल आटोन तहसील अटरू की खाता संख्या 40 के ख0नं0 973 रकबा 0.31 है0 कुल किता 1 का रकबा 0.31 है0 आराजी में खातेदार कंवरिया पुत्र लटुरलाल के स्थान पर कंवरलाल उर्फ कंवरिया पुत्र लटूरलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। जमाबन्दी के शेष अंकन यथावत रहेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 16.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां